

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
2. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
4. समस्त आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय, मध्यप्रदेश
5. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी, मध्यप्रदेश
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषय: मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों में संशोधन बाबत ।

संदर्भ: 1. इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक 589/पी.एस./श्रम/2018 भोपाल, दिनांक 29.05.2018 ।

2. इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक/अशग्रा/स्था/2018/739-746 भोपाल, दिनांक 10.07.2018 ।

प्रदेश के असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कराने तथा उनके हित संवर्धन हेतु मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 संदर्भित ज्ञापनों के माध्यम से संचालित है। योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन में कठिनाईयाँ महसूस की गई हैं इन कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से तथा योजना को ओर अधिक प्रभावी एवं सुगम बनाने हेतु ज्ञापन क्रमांक 589/पी.एस./श्रम/2018 भोपाल, दिनांक 29.05.2018 में कंडिका 15 के बाद निम्नानुसार नई कंडिकाएं जोड़ी जाती हैं :-

16. अपील एवं विसंगतियों (त्रुटियों) का निराकरण:-

- 16.1 हितलाभ:- हितलाभ के ऐसे प्रकरण जिनमें हितग्राही का आवेदन निरस्त किया गया हो, तो ऐसे प्रकरणों में हितग्राही अपना पक्ष समस्त साक्ष्यों सहित विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा और विहित प्राधिकारी उस पर विचार कर और अन्य ऐसी जाँच कर जैसी वह आवश्यक समझे अपने अभिमत सहित प्रतिवेदन निराकरण हेतु अपीलीय प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।
- 16.2 विसंगति/त्रुटि सुधार:- हितग्राही को हितलाभ स्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान अथवा स्वीकृति के बाद वितरण के पूर्व यदि प्रकरण में पोर्टल पर आवश्यक प्रवृष्टियों में से किसी एक या एक से अधिक प्रवृष्टियों में कोई त्रुटि हुई है और उक्त त्रुटि/विसंगति के कारण हितग्राही को हितलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उक्त प्रकार की त्रुटियों/विसंगतियों के सुधार के लिये विहित प्राधिकारी प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यों एवं ऐसी जाँच करने के उपरान्त जैसी वह आवश्यक समझे, अपने अभिमत सहित प्रकरण अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- 16.3 अपीलीय प्राधिकारी- जिला कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा नामित अपर कलेक्टर होगा।
- 16.4 अपील प्राधिकारी उपरोक्त कंडिका 16.1 में वर्णित स्थितियों में विहित प्राधिकारी के विनिश्चय की तारीख से 30 दिवस के भीतर विहित प्राधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के अधार पर संतुष्ट होने की दशा में अपील स्वीकार कर सकेगा।

परन्तु अपीलीय प्राधिकारी 30 दिवस की कालावधि का अवसान होने पर भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति समय पर अपील दर्ज कराने से समुचित कारण से निवारित था।

- 16.5 अपील प्राधिकारी उपरोक्त कंडिका 16.2 में वर्णित स्थितियों में विहित प्राधिकारी द्वारा हितलाभ स्वीकृत प्रकरण में हुई त्रुटि/विसंगति की स्थिति में जानकारी दिनांक से 30 दिवस के भीतर विहित प्राधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के अधार पर संतुष्ट होने की दशा में त्रुटि/विसंगति के सुधार के बिन्दु पर विचारण हेतु अपील स्वीकार कर सकेगा।

परन्तु अपीलीय प्राधिकारी 30 दिवस की कालावधि का अवसान होने पर भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति समय पर अपील दर्ज कराने से समुचित कारण से निवारित था।

- 16.6 अपीलीय प्राधिकारी, अपील प्रस्तुत होने/विहित प्राधिकारी का प्रस्ताव होने पर ऐसी जाँच व जानकारी अथवा दस्तावेज, जिसे वह उचित समझे प्राप्त करने के उपरांत संतुष्ट होने पर समुचित आदेश जारी करेगा। जिसमें वह अपील को स्वीकार कर सकेगा अथवा निरस्त कर सकेगा। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपीलीय आदेश/त्रुटि/विसंगति सुधार की कार्यवाही अपील के विनिश्चियन के आधार पर संबल पोर्टल पर इस बाबत एन.आई.सी. द्वारा उपलब्ध कराए गए लॉगिन में की जायेगी। अपीलीय प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(उमाकान्त उमराव)
प्रमुख सचिव
म.प्र शासन, श्रम विभाग

पृष्ठा.क्रमांक: 653/236/श्रम विभाग /2020/E-16

भोपाल, दिनांक 18/08/2020

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. मुख्य सचिव के उप सचिव/स्टॉफ ऑफिसर, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर।
8. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
9. आयुक्त, नगरीय विकास एवं आवास, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
10. सचिव, मध्यप्रदेश असंगिठत कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
11. श्री सुनील जैन, सीनियर टेक्नीकल डायरेक्टर, एनआईसी, विन्ध्यांचल भवन, भोपाल को उपरोक्त कार्य पोर्टल पर संपादन किए जाने की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. विभागीय रिकार्ड फाईल।


प्रमुख सचिव
म.प्र शासन, श्रम विभाग